न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-175 RAAJodhpur2022-75RTA223 Magnaram Vs Munnaram etc

मगनाराम पुत्र श्री रिडाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम गोपासरिया, माण्डियाई कलां, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. मुन्नाराम पुत्र श्री लाखाराम
2. श्रीमती टिपु देवी पत्नी भोमाराम
3. प्रेमाराम पुत्र श्री भोमाराम
4. गणपतराम पुत्र श्री भोमाराम

   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम गोपासरिया, माण्डियाई कला, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
5. चैनाराम पुत्र श्री पुरखाराम, जाति जाट,
6. ओमाराम पुत्र श्री भीयाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र श्री हीराराम,

   जातियान् नाई, निवासीगण- ग्राम गोपासरियॉ, माण्डियाई कला, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 109/2021 मगनाराम बनाम मुन्नाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रणजीतसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3, 5 से 7

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 14 सितंबर 2023

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 जनवरी 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 109/2021 अनवान मगनाराम बनाम मुन्नाराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 फरवरी 2022 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत करने की छूट चाही।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 56 रकबा 59.19 बीघा, खसरा नं. 30/2 रकबा 29.18 बीघा ग्राम माण्डियाई कला तहसील तिवरी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2022 को अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त केवल अपीलार्थी के वाद पत्र को पढना था, अन्य किसी दस्तावेज को नहीं देखना था, यदि दावा में वर्णित तथ्यों से यदि दावा बार्ड बाई लॉ होता है तो उसके आधार पर दावा खारिज किया जा सकता था, लेकिन दावा पढने मात्र से दावा को किसी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नही था। उसके बावजूद भी कानून से विपरीत जाकर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को कन्सीडर करते हुए अपीलार्थी का वाद खारिज किया गया, जबकि कानून में यह प्रावधान है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते वक्त मात्र दावा में वर्णित तथ्यों को देखना होता है, न कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को। खसरा नं. 56 में अपीलार्थी को आज भी हिस्सा मौजूद है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया व कानून से विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के बाद डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया है। इसलिए अपीलांट्स डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत नही कर सके। डिक्री पर्चा की बाध्यता से छूट प्रदान की जावे एवं आदेश के अंतिम पद को डिक्री पर्चा मानते हुए अपील की अनुमति प्रदान की जावे।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 जनवरी 2022 को निरस्त किये जावे

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा खसरा नं. 56 में निहित अपने 1/4 हिस्से की आधी भूमि तथा खसरा नं. 30/2 में निहित अपने 1/4 हिस्से की संपूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 08.07.1997 को कर दिया, लेकिन उक्त बेचाननामा के आधार पर सहवन से नामांतरकरण स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में यथावत चली आ रही है। उक्त बेचाननामा आज भी प्रभाव में है। इसलिए अपीलांट वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का उतराधिकारी

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है। इसलिए वाद विधि से वर्जित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया।प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति की बाध्यता की छूट प्रदान की जाती है तथा निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 08.07.1997 के मुताबिक अपीलांट मंगनाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 56 रकबा 59.19 बीघा में अपने 1/4 हिस्से में सें आधी भूमि बेचान किया गया है। 1/4 हिस्से की भूमि में शेष रही 1/2 हिस्से की भूमि में अपीलांट का अवशेष हिस्सा निहित है, जिसके संबंध में अपीलांट को विभाजन करवाने का प्रथमदृष्टया अधिकार है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या पांच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के जरिये

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 जनवरी 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 109/2021 अनवान मगनाराम बनाम मुन्नाराम इत्यादि खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर